Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर के पुलिस थाना कठूमर में आरोपी रामेश्वर सिंह कानि. 17 व निरंजन सिंह (प्राईवेट व्यक्ति) 20,000/—रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार।**

जयपुर, दिनांक 25 मार्च 2026, बुधवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसीबी दौसा ने कार्यवाही करते हुये आरोपीगण **रामेश्वर सिंह कानि. 17 व निरंजन सिंह प्राईवेट व्यक्ति को 20,000/—रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि एसीबी **हेल्पलाइन 1064** पर एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी के फुफेरे भाई के खिलाफ पुलिस थाना कठूमर मे दर्ज मुकदमें के अनुसंधान में मदद करने के नाम पर आरोपीगण नरेन्द्र सिंह एएसआई, रामेश्वर सिंह कानि0 17 व निरंजन सिंह प्राईवेट व्यक्ति द्वारा 20,000/—रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादी को परेशान कर रहे है।

जिस पर एसीबी जयपुर रेंज के **उप महानिरीक्षक श्री अनिल कयाल** के सुपरवीजन में एसीबी भरतपुर इकाई द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही की गई एवं अग्रिम ट्रेप कार्यवाही एसीबी दौसा के **उप अधीक्षक पुलिस श्री रविन्द्र सिंह** मय टीम द्वारा की गई। जिनके द्वारा दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी से 20,000/— रूपये रिश्वत राशि रामेश्वर कानि. एवं निरंजन सिंह प्राईवेट व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई और प्राईवेट व्यक्ति द्वारा अपने पास रखी जिससे रिश्वत राशि 20,000/— रूपये बरामद की जा चुकी है। प्रकरण में आरोपी नरेन्द्र सिंह एएसआई की गिरफ्तारी शेष हैं।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस श्रीमति एस. परिमाला** के सुपरवीजन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामलें में धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 (2) बीएनएस के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।